(भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I खण्ड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक 1 नवंबर 20011

विषय: यार्न, फैब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी 2012 से बढ़ाया जाना।

सं.1/61/2004-निर्यात-I(2) सरकार द्वारा यार्न, फैब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों को दिनांक 09.11.2004 की अधिसूचना सं.1/61/2004-निर्यात-I द्वारा प्रारंभ में 1.1.2005 से एक वर्ष के लिए लागू किया गया था तथा तत्पश्चात समय-समय पर इन प्रावधानों को बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को 31 दिसंबर 2011 तक बढ़ाया गया था।

2. सरकार ने एतदद्वारा यार्न, फैब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी 2012 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवंबर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरियर्तित रहेंगी।

(ज. प्र. दत्त)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

फरीदाबाद(हरियाणा)